(12)

पत्रांक-7/स्था.-1-13-42/06का0- 12616

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

गोकुल किशोर दत्त,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना, दिनांक- 26/12/2007

विषय:- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भत्ता के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 6234 दिनांक 30.06.06 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दस दिनों से अधिक के लिए अतिरिक्त पद के प्रभार में रहने पर उक्त पद के वेतनमान को प्रारंभिक स्तर के वेतन का दस प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस बीच कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा अतिरिक्त भत्ता आदि के संबंध में पृच्छाएं की गयी है । इस संबंध में वित्त विभाग के परामर्शानुसार स्थिति निम्नलिखित है :-

(i) राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों पर भी बिहार सेवा संहिता के नियम लागू है ।

(ii) कनीय पद के अतिरिक्त प्रभार आच्छादित नहीं है ।

(iii) रूटीन कार्य हेतु अतिरिक्त वेतन देय नहीं है ।

अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को संसूचित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(ह0) 12.12.07

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/स्था.-1-13-42/06का0- 12616 /पटना, दिनांक- 26/12/07

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना

(ह0) 12.12.07

सरकार के उप सचिव